न्यायालय सहायक कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी :– सुश्री मनीषा (आर0 ए0 एस)
प्रकरण संख्याः– 47/2019
दायर दिनांकः– 02.08.2019

उनवान

1. बाबुलाल पुत्र गंगासहाय
2. पांची देवी पत्नि गंगाराम

} जाति खारवाल निवासी ग्राम चांदराना तहसील दौसा जिला दौसा।

(प्रार्थीगण)

बनाम

1. रेवड़ पुत्र ग्यारसा
2. बदरी पुत्र बिरदा
3. मनबो देवी पत्नि मोहन
4. बीना देवी पत्नि किशोर
5. गुलाब देवी पत्नि घनश्याम
6. मनभर देवी पत्नि बनवारी

} जाति खारवाल निवासी ग्राम चांदराना तहसील दौसा जिला दौसा।

7. सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा
8. यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चांदराना जरिये शाखा प्रबन्धक यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चांदराना तहसील दौसा जिला दौसा।
9. दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा चांदराना जरिये शाखा प्रबन्धक दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक शाखा चांदराना तहसील दौसा जिला दौसा।

(अप्रार्थीगण)

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:11:38 IST
Reason: SelfAttested

उपस्थित : 1. श्री मिठ्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा – अन्तर्गत धारा 212 आरटी एक्ट

::निर्णय::

वकील मय प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत इस आशय से पेश किया कि आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 176 पुराना 185 के खसरा नं0 315 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 316 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 है0 वाके ग्राम चांदराना तहसील दौसा में स्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण 1/6 हिस्से के काबिज काश्तकार व खातेदार है। उक्त भूमि में अप्रार्थीण 1 लगायात 6 भी 1/6 हिस्से के काबिज काश्तकार व खातेदार है। उक्त भूमि में ही अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 भी अपने जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायात 6 ने उक्त वर्णित उपरोक्त को बाहमी तौर पर विभाजित कर रखा है व प्राथीगण अपने हिस्से की भूमि पर दोनो फसल करके काबिज होकर लाभान्वित होती चली आ रही है। प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण नम्बर 1 लगायत 6 का कोई सम्बन्ध नही है।

आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 175 पुराना 184 खसरा नम्बर 105 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम चांदराना तहसील दौसा में स्थित है, उक्त भूमि चाह में हिस्सा 1/6 के प्रार्थीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि में अप्रार्थीगण नम्बर 1, 2, 7 व 8 भी अपने जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार सहखातेदार है। अप्रार्थीगण नम्बर 1, 2, 7 व 8 ने उक्त वर्णित भूमि को बाहमी तौर पर विभाजित कर रखा है व वादनी अपने हिस्से की भूमि पर दोनो फसल करके काबिज होकर लाभान्वित होती चली आ रही है। वादनी के हिस्से की भूमि में अप्रार्थीगण नम्बर 1, 2, 7 व 8 का कोई सम्बन्ध नही है।

आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 177 पुराना 186 के खसरा नम्बर 109 रकबा 0.89 है0, खसरा नम्बर 110 रकबा 0.82 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.71 है0 भूमि में हिस्सा 1/3 के प्रार्थीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि में अप्रार्थी नम्बर 2 भी अपने जमाबन्दी में दर्ज हिस्से अनुसार ही सह खातेदार है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी नम्बर 2 ने उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:41:18 IST
Reason: SelfAttested

वर्णित बाहमी तौर पर विभाजित कर रखा है। प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि में अप्रार्थी नम्बर 2 का कोई सम्बन्ध नही है।

प्रार्थीगण का पिता व पति गंगाराम व अप्रार्थी नम्बर 1 रेवड़ पुत्र ग्यारसा दोनो सगे थे जिनकी संयुक्त खातेदारी की उक्त भूमि थी जिसमें खसरा नं0 315 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 316 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 है0 भूमि में प्रार्थीगण के पिता व पति गंगाराम पुत्र ग्यारसा का 1/6 हिस्सा एवं 1/6 अप्रार्थी नम्बर 1 रेवड़ पुत्र ग्यारसा का था एवं कृषि भूमि खसरा नम्बर 105 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम चांदराना तहसील दौसा में 1/6 हिस्स प्रार्थीगण के पिता व पति गंगाराम पुत्र ग्यारसा का था व 1/6 हिस्सा अप्रार्थी नम्बर 1 रेवड़ पुत्र ग्यारसा का था।

प्रार्थीगण के पिता व पति गंगाराम पुत्र ग्यारसा का स्वर्गवास दिनांक 16.11.2017 को हो गया। प्रार्थीगण अपने पिता व पति के हिस्से की रिर्कोडेड खातेदार व काबिज काश्तकार है। प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है एवं अपूरणीय क्षति भी अप्रार्थीगण को है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी कृषि भूमि खाता संख्या नया 176 पुराना 185 के खसरा नं0 315 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 316 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 है0 वाके ग्राम चांदराना तहसील दौसा में स्थित हैं। उक्त भूमि में हिस्सा 1/6 में प्रार्थीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार है एवं आराजी कृषि भूमि नया 175 पुराना 184 खसरा नम्बर 105 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 चाह वाके ग्राम चांदराना तहसील दौसा में स्थित है, उक्त भूमि चाह में हिस्सा 1/6 के प्रार्थीगण खातेदार एवं काबिज काश्तकार है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का हिस्सा पर काबिज रहकर काश्त करने में अप्रार्थी नम्बर 1 स्वयं अपने परिजनो एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा दखल न देंवे। इस पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस के तलब किया गया बावजूद असालतन तामिल अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। एवं बहस हेतु तारीख नियत की गई। बहस राजस्व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 एकपक्षीय सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:11:38 IST
Reason: SelfAttested

हम प्रकरण को अस्थाई निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सार्वभूत निम्नलिखित तीन बिन्दुओं के आधार पर निर्णित करना आवश्यक समझते हैः–

1. **<u>प्रथम दृष्टया मामलाः–</u>** इस अर्थ यह कतई नही है कि मामला पूर्णतः साबित कर दिया क्युंकि यह साक्ष्य का विषय है प्रथम दृष्टया मामला का तात्पर्य यह है कि वादपत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन मात्र से यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण हो कि वादग्रस्त आराजी में वादीगण को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है।

   उपर्युक्त प्रार्थना पत्र में गंगाराम पुत्र ग्यारसा उक्त आराजी में रिर्कोडेड खातेदार है तथा वादी संख्या 1 व 2 के हिस्से की अपनी पुश्तैनी आराजी में अपने–अपने हिस्से के लिये विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा के लिए न्यायालय हाजा में वाद प्रस्तुत किया है। चूंकि अप्रार्थी 1 लगायत 6 की ओर से उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई जवाब नही दिया गया है और ना ही किसी प्रकार की कोई बहस की गई है लिहाजा इनके विरूद्व उक्त प्रार्थना पत्र में एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। इससे प्रथम दृष्टया विश्वास करने का पर्याप्त कारण प्रतीत होता है कि उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण के पिता व पति का नाम अंकित है तथा प्रार्थीगण ने अपनी पुश्तैनी भूमि के लिए अस्थाई व्यादेश की मांग की है। अतः हमारा विनम्र अभिमत है कि रिर्कोडेड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं।

2. **<u>सुविधा का संतुलनः–</u>** अस्थाई व्यादेश के प्रकरण में सुविधा के संतुलन में एक आवश्यक एवं महत्वपूर्ण घटक है इसका सामान्य तात्पर्य है कि हस्गत प्रकरण में व्यादेश नही दिया गया तो प्रार्थीगण को अधिकतम असुविधा होगी या नही होगी।

   चंकि हस्तगत प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका तथा प्रार्थीगण के पिता व पति रिर्कोडेड खातेदार है अतः पैतृक पुश्तैनी होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं।

3. **<u>अपूरणीय क्षतिः–</u>** उक्त प्रार्थना के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन दोनो प्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित हुये है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थीगण

Signature Not Verified
Digitally Signed by Manisha
Date: 2022.02.22 17:11:38 IST
Reason: SelfAttested

के द्वारा राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति कारित हो सकती है।

अतः हामारा भी विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनो बिन्दू यथाः– प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति बखूबी साबित होने के कारण अस्थाई व्यादेश के प्रार्थना को स्वीकार किया जाना हम विधि संगत समझते है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण अन्तर्गत धारा 212 राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली भांति साबित होने से स्वीकार किया जाता है। अस्थाई व्यादेश बहक प्रार्थीगण विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वाके ग्राम चांदराना तहसील दौसा जिला दौसा में स्थिति आराजी भूमि के खाता संख्या नया 176 पुराना 185 के खसरा नं0 315 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 316 रकबा 0.71 है0, खसरा नं0 317 रकबा 0.24 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.46 है0 एवं आराजी कृषि भूमि नया 175 पुराना 184 खसरा नम्बर 105 रकबा 0.03 है0 गै0मु0 चाह में भूमि में प्रार्थीगण के हिस्से पर काबिज रहकर काश्त करने में अप्रार्थी नम्बर 1 स्वयं, अपने परिजनो एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा ताफफैसला दखल न देवे एवं प्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि की लाभ उठाने दिया जावे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमिल, जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/लेख भण्डार जमा हो।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
दौसा
दौसा

निर्णय आज दिनांक 04.01.2021 को सरे ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manisha Dasi
Date: 2022.02.22 17:11:38 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
दौसा